N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0038 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 21/02/2025 12:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 05/02/2025 Date To (दिनांक तक): 19/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:15 बजे Time To (समय तक): 07:50 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 21/02/2025 Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 21/02/2025 12:33:26 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 04 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): NAGAR NIGAM MALVIAY NAGAR, LALKOTHI JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** PUSPENDRA KUMAR SHARMA
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMPRASAD SHARMA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	A 79, KRISHANAPURI,MANSAROWAR METRO STATION KE PASS, JAIPUR, MANSAROVAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	A 79, KRISHANAPURI,MANSAROWAR METRO STATION KE PASS, JAIPUR, MANSAROVAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAKESH SETHI		पिता:BABULAL SETHI	1. 163/88,SECTOR NO.16,PRATAP NAGAR SANGANER,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 5,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 05.02.2025 को परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी ए-79, कृष्णापुरी कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जयपुर उपस्थित आया तथा एक हस्तलिखित प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर इस आशय का पेश किया कि- 'सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर। विषय-रिश्वत लेते हुऐ को पकडवाने के लिये। महोदय निवेदन है कि मैं पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा नगर निगम ग्रेटर मालवीय नगर गैराज में वाहन चालक (संविदा) पद पर कार्यरत हू॑। नगर निगम ग्रेटर के गैराज शाखा मे मालवीय नगर गैराज (लालकोठी) में श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक के पद पर है श्री राकेश कुमार सेठी नगर निगम के वाहनो पर वाहन चालक लगानें का कार्य देखता है। श्री राकेश कुमार सेठी द्वारा मुझे नगर निगम के डम्पर पर चालक लगाने के लिए 3000 रू प्रतिमाह के मांग रहा है मैने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए इसलिए श्री राकेश कुमार सेठी मेरे से पूर्व के 3 महिने के 9000 रू की रिश्वत राशि मांग रहा है मै राकेश कुमार सेठी को रिश्वत नहीं देना चाहता हु॑ रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चाहता हू॑। मेरी श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) से कोई रजिंश नहीं है नहीं कोई लेनदेन शेष है। अतः कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थी एसडी पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी- ए-79 कृष्णापुरी कॉलोनी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जयपुर[redacted], परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि मै सविंदा पर नगर निगम में ड्राईवर के पद पर हू तथा नगर निगम के डम्पर नम्बर आरजे 14 जीएफ 6619 चलाता हू। नगर निगम मालवीय नगर गैराज शाखा (लालकोठी) में श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक है जो नगर निगम के वाहन पर चालक लगाने के लिए प्रतिमाह 3000 रूपये मेरे से मांगता है। मैने उसको अभी तक कोई पैसे नहीं दिऐ, इसलिये श्री राकेश कुमार सेठी समयापालक मेरे से पूर्व के 3 महिने के 9000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री बलराम सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष पर अवगत कराया तथा उनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये। परिवादी के प्रार्थना पत्र व मजिद दरियाफ्त से मांग सत्यापन करवाना आवश्यक है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री अशोक कुमार है कानि. न. 154 .को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उनका व परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से आपस में परिचय करवाया। कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया एसडी/मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB निकलवाकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादीगण को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया की समझाईश की तथा श्री अशोक कुमार हैड कानि न.154 को निर्देश दिये कि मांग सत्यापन से पूर्व नया एसडी/मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB को विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लगाकर परिवादी को सुपुर्द करने के निर्देश दिये। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मांग सत्यापन की कार्यवाही कल दिनांक 06.02.2024 को सुबह 7 से 09 बजे के बीच ही हो पाईगी। इसके पश्चात श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक रिश्वत की मांग नहीं करता है। क्योकि बाद में स्टॉफ अपने अपने वाहन लेकर रवाना हो जाता है। उसके बाद श्री राकेश सेठी समय 02 बजे बाद अपनी डयूटी खत्म कर घर चला जाता है। अतः मै सुबह आपको अवगत कराउ, उस समय श्री अशोक हैड कानि न. 154 को भिजवा देना। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व श्री अशोक कुमार हैड कानि न. 154 को आपस में एक दुसरे के मोबाईल नम्बर दिए तथा परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया। श्री अशोक कुमार हैड कानि न. 154 को हिदायत की गयी कि सुबह परिवादी से संपर्क होने पर मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड लेकर परिवादी के बताए अनुसार स्थान पर पहु॑चे। तत्पष्चात डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी को पुनः सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। दिनांक 06.02.2025 समय 09.40 एएम पर श्री अशोक कुमार हैड कानि न. 154 ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि मेरे पास परिवादी का समय.08.03 एएम पर कॉल आया, उसने मुझे विधान सभा के नजदीक अमरूदो के बाग के पास बुलाया, जिस पर मैने आपको कॉल लगाया परन्तु आपको कॉल नहीं लगा। इसके पश्चात मै कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर समय 08.15 एएम पर रवाना होकर समय 08.20 एएम पर अमरूदो के बाग विधान सभा जयपुर के पास पहुचा, जहां पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार उपस्थित मिला, जिसको मैने

डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाकर बंद हालात में सुपुर्द किया तथा परिवादी ने बताया कि मै डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लूंगा। परिवादी ने समय 08.38 एएम पर मुझे कॉल कर बताया कि श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक आज अवकाश पर होने से कार्यालय नहीं आया। इसके बाद परिवादी मेरे पास आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बंद हालात में मुझे सुपुर्द किया। इसके बाद मै रवाना होकर एसीबी कार्यालय आया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री अशोक हैड कानि न. 154 को आवश्यक हिदायत दी तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 11.02.2025 को समय 09.40 एएम पर इस समय श्री अशोक कुमार हैड कानि न. 154 ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि आज सुबह 07.51 एएम. पर परिवादी का मेरे पास फोन आया तथा मुझे विधान सभा के पास बुलाया, जिस पर मै आपके निर्देशानुसार कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर समय 08.10 एएम पर रवाना होकर समय 08.20 एएम पर अमरूदो के बाग विधान सभा जयपुर के पास पहुॅचा, जहां पर मैने परिवादी को कॉल किया व समय 08.23 एएम पर परिवादी ने मेरे पास कॉल कर विधायक क्वार्टर के पास बुलाया, जहां पर मै पहुचां तो परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार उपस्थित मिला, जिसको मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड समय 08.28 एएम पर चालू कर सुपुर्द किया, इसके पश्चात परिवादी नगर निगम लालकोठी गैराज के अन्दर गया, मै गोपनीयता बनाये रखते हुऐ नगर निगम गैराज लालकोठी के पास ही खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देने पर मैने बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री राकेश कुमार सेठी ने मेरे से पहले ईशारा कर पैसे की मांग की, जिस पर मैने उसे 1500 रूपये दे दिये, इसके पश्चात उसने और पैसो की मांग की, मैने उसे बाद में एक साथ देने के लिए कहा। इसके बाद परिवादी ने कहा कि मेरे आवश्यक कार्य है इसलिये में बाद में एसीबी कार्यालय आ जाउंगा। इस पर मै डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रवाना होकर समय 08.50 एएम पर एसीबी कार्यालय आ गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सुना तथा श्री अशोक कुमार हैड कानि की कही बातो की ताईद हुई तथा परिवादी से संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। इसके पश्चात डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को बंद कर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रख दिया। इसके पश्चात समय 03.15 पीएम पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री अशोक कुमार हैड कानि के मेरे पास आने पर इनके द्वारा मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर दिया, इसके बाद में रवाना होकर श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक से मिला तो उसने मुझे ईशारा कर 1500 रूपये ले लिये तथा और पैसो की मांग किया, जिस पर मैने उसको बाद में 5000 रूपये देने के लिए कहा है। परिवादी ने बताया कि मै सोमवार दिनांक 17.02.2025 को सुबह कार्यालय आ जाउंगा। उस दिन श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक को रिश्वत के पैसे दूंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने व दिनांक 17.02.2025 को समय पर कार्यालय आने की हिदायत देकर रूखस्त किया। दिनांक 17.02.2025 को समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने जरिये व्हाटसअप पर मन् पुलिस निरीक्षक को फोन कर बताया कि मेरे आज आवश्यक कार्य है, इसलिये मै मेरे निजी कार्य से फ्री होकर आपको अवगत करा दूंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 18.02.2025 को समय 5.30 पीएम पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने मोबाईल से जरिये व्हाटसअप से मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर बताया कि कल दिनांक 19.02.2025 को श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक मेरे से रिश्वत के पैसे लेगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को कल दिनांक 19.02.2025 को समय 5.30 एएम पर एसीबी कार्यालय मे रिश्वत के पैसे लेकर आने के लिए कहा तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री हवा सिंह हैड कानि को स्वतत्रं गवाहान व समस्त स्टॉफ को समय 5.30 एएम पर कार्यालय आने के लिए पाबन्द करने के लिए कहा एवं ट्रैप कार्यवाही हेतु ट्रैप बॉक्स व सबंधित समस्त साजो सामान को सुव्यवस्थित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 19.02.2025 समय 05.45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त स्टॉफ कार्यालय आये तथा स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सिंह व श्री कल्याण सहाय मीणा उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री राजकुमार सिंह हाल अनुभागाधिकारी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर होना व दुसरे ने अपना नाम श्री कल्याण सहाय मीणा हाल सहायक अनुभागाधिकारी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर होना बताया। समय.06.30 एएम पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित कार्यालय आया, जिसका स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सिंह अनुभागाधिकारी व श्री कल्याण सहाय मीणा सहायक अनुभागाधिकारी से आपस में परिचय करवाया तथा इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिखाये व पढवाये जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.00 एएम पर इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा को संदिग्ध श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मु्रदा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5,000/-

रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा पेश् शुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री दयाचन्द हैड कानि न. 07 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री दयाचन्द हैड कानि न. 07 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कल्याण सहाय मीणा से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोटरसाईकिल की चाबी, मोबाईल फोन, आधार कार्ड व 150 रूपये के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोटरसाईकिल की चाबी, मोबाईल फोन,आधार कार्ड व 150 रूपये छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। तत्पश्चात श्री दयाचन्द हैड कानि. से रिश्वत राशि 5,000/- रूपये परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा की पहने हुऐ काले कोट बॉये साईडी की सामने की नीचे की तरफ की जेब में रखवाये गये तथा तथा परिवादी को समझाईश की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे अगर अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे हाथ नही मिलावे तथा आरोपी उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर[redacted]र मिस्ड काल कर ईशारा करे व दोनो गवाहो को भी हिदायत दी गई कि आप यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। इसके बाद गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए प्लास्टिक के एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर की एक चम्मच डालकर घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री दयाचन्द है.कानि. नं. 07 के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उसको तथा प्लास्टिक के गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया, श्री दयाचन्द है.कानि. नं. 07 से गुलाबी घोल को फिकवाकर हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया व श्री दयाचन्द है.कानि.नं. 07 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी कार्यालय आलमारी में रखवायी गयी। गवाहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु आदि नहीं छोडे़ गये। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाले सामानों को अच्छी तरह साफ करवाकर तथा सुखवायी गयी व नये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास भी ट्रेप बॉक्स में रखा गया। कार्यालय की अलमारी से पूर्व में मांग सत्यापन के दौरान प्रयोग में लिए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में से पूर्व एसडी कार्ड को निकालकर सुरिक्षत कार्यालय की आलमारी में रखा तथा नया एसडी कार्ड को परिवादी के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगाकर श्री अशोक कुमार हैड कानि को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गयी गयी परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए एसओ के पास जाने से पूर्व चालू कर देवे। श्री दयाचन्द हैड कानि न 07 को ब्यूरो कार्यालय में छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय 07.30 एएम पर इस समय मन् पुलिस निरीक्षक श्री गम्भीर सिंह ने श्री अशोक मुख्य आरक्षक न 54 व श्री विशाल कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार को अलग अलग मोटरसाईकिल पर व टेवेरा वाहन आरजे 14 यूसी 8798 में श्री आलोक शर्मा सहायक उप निरीक्षक,श्री हवा सिंह हैड कानि न 09, श्री ओमप्रकाश कानि 438, श्रीमती ललिता मकानि. नं. 269 मय चालक श्री रोहिताश लालकोठी गैराज नगर निगम जयपुर, विधान सभा के नजदीक आईबीएस अस्पताल के पास उपस्थित होने के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री अजय कानि 154 व स्वतंत्र गवाह राजकुमार सिंह व श्री कल्याण सहाय मीणा मय लैपटॉप प्रिन्टर मय टै्प बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूडी 1392 मय चालक के एसीबी कार्यालय से ट्रेप कार्यवाही के लिए लालकोठी गैराज नगर निगम के लिए रवाना होकर समय 07.40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक श्री गम्भीर सिंह मय हमराहिन जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के विधान सभा के नजदीक आईबीएस अस्पताल के पास समय 7.40 एएम पर पहुचों तथा वाहनो को साईड में खडा करवाया तथा श्री अशोक मुख्य आरक्षक न 54 व श्री विशाल कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार व सरकारी वाहन टवेरा में श्री आलोक शर्मा सहायक उप निरीक्षक,श्री हवा सिंह हैड कानि न 09, श्री ओमप्रकाश कानि 438, श्रीमती ललिता मकानि. नं. 269 भी उपस्थित आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री अशोक हैड कानि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द करने के निर्देश देने पर श्री

अशोक हैड कानि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर नगर निगम गैराज लालकोठी के लिए समय 7.43 एएम पर रवाना किया। परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा नगर निगम गैराज लालकोठी के अन्दर गया तथा श्री अशोक हैड कानि व श्री विशाल कानि को पीछे पीछे पैदल रवाना किया व स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सिंह व श्री कल्याण सिंह को आवश्यक निर्देश देकर पैदल रवाना किया मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ता भी पीछे पीछे पैदल रवाना होकर नगर निगम लालकोठी गैराज के आस-पास गोपनीयता बनाये रखते हुऐ परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुऐ। परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने मन् पुलिस निरीक्षक को समय 07.50 एएम पर सिर पर हाथ फेर कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराही जाप्ता व स्तवंत्र गवाहान को साथ लेकर नगर निगम मालवीय नगर लालकोठी गैराज के अन्दर पहुॅचा, जहां पर मैन गेट के सामने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित मिला, परिवादी पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त किया जाकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि श्री राकेश सेठी समयपालक नगर निगम मालवीय नगर लालकोठी गैराज जयपुर ने अभी अभी मेरे से 5000 रूपये की रिश्वत राशि अपने बॉये हाथ से लेकर दाहिने हाथ से पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रख लिए है, इसके पश्चात मै बाहर आपको निर्धारित ईशारा किया तथा श्री अशोक जी को भी ईशारा किया, जिस पर श्री अशोक जी व श्री विशाल जी आ गये तथा आरोपी श्री राकेश सेठी समयपालक उपायुक्त गैराज श्री करणी सिंह के कक्ष से बाहर आ गया, जिसको श्री अशोक जी ने अन्दर बैठा दिया, आरोपी श्री राकेश सेठी समयपालक उपायुक्त गैराज के कक्ष के अन्दर है, जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहियान जाप्ता व परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा को लेकर उपायुक्त गैराज के कक्ष में गया, जहां पर कुर्सी पर एक व्यक्ति डार्क ग्रे कलर की पेन्ट व हल्का ग्रे कलर का कोट पहने हुऐ बैठा था तथा श्री अशोक हैड कानि व श्री विशाल वरिष्ठ सहायक भी पास में मिले, परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने अन्य व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री राकेश सेठी समयपालक है, जिन्होने अपनी मांग के अनुशरण में मेरे से अभी अभी 5000 रूपये की रिश्वत राशि अपने बॉये हाथ से लेकर दाहिनी हाथ से पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये। इसके पश्चात श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर, जिसका श्री ओमप्रकाश कानि 438 से दाहिनॉ हाथ तथा श्री अजय कानि न 154 ने बॉया हाथ कलाई के उपर से पकडाकर कुर्सी पर बिठाया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राकेश सेठी पुत्र श्री बाबुलाल सेठी उम्र 55 साल जाति कलाल निवासी- प्लॉट नम्बर 163/88, सेक्टर 16, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर को परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से रिश्वत राशि 5000 रूपये लेने के बारे में पूछा तो श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर घबरा गया और बताया कि मैने श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से रिश्वत राशि नहीं मांगी, इसने मुझे जबरदस्ती देकर गया। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी श्री राकेश सेठी की बातों का खंडन करते हुऐ बताया कि मैं नगर निगम ग्रेटर मालवीय नगर गैराज में वाहन चालक (संविदा) पद पर कार्यरत हूँ। नगर निगम ग्रेटर के गैराज शाखा मे मालवीय नगर (लालकोठी) में यह श्री राकेश सेठी समयपालक के पद पर है, यह नगर निगम के वाहनो पर वाहन चालक लगानें का कार्य देखते है। इनके द्वारा मुझे नगर निगम के डम्पर संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 पर चालक लगाने के लिए 3000 रू प्रतिमाह के मांग रहे है, मैने इनको अभी तक पैसे नहीं दिए, इसलिए श्री राकेश सेठी मेरे से पूर्व के 3 महिने के 9000 रू की रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर मैने दिनांक 05.02.2025 को एसीबी में शिकायत दी, जिस पर दिनांक 11.02.2025 को मांग सत्यापन की कार्यवाही की, जिस में श्री राकेश सेठी समयपालक द्वारा मेरे से 1500 रूपये ले लिये व कुछ राशि कम कर 5000 रूपये की रिश्वत राशि की ओर मांग की, अपनी मांग के अनुशरण में आज दिनांक 19.02.2025 को श्री राकेश सेठी द्वारा 5000 रूपये की रिश्वत राशि अपने बॉये हाथ से प्राप्त कर दाहिनी हाथ से अपनी पहनी हुई डार्क ग्रे कलर की पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये। इसके पश्चात मैंने आपको निर्धारित ईशारा किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ बोतल में नगर निगम मालवीय नगर गैराज शाखा में बने वाटर कूलर में से स्वच्छ पानी भरवाया जाकर दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झायी देता हुआ हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी झायी देता हुआ होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R.1 व R.2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ स्वच्छ पानी से भरे साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर

गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ षीषियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार सिंह से श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर की जामा तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी के पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब से 500-500 के 10 नोट कुल राशि 5000/- रूपए व 1060 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकाल कर पेश किये। उक्त 500-500 के 10 नोट कुल राशि 5000/- रूपए के नोटो को दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से नंबरो का मिलान करवाया गया तो हुबहू होना पाये गये। उक्त रिश्वती राशि का विवरण निम्नानुसार हैः- 01 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0NF824224 02 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4AG720259 03 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HW451354 04 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8FS539963 05 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3PE419790 06 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6WU675910 07 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AH032917 08 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MP545044 09 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9ED253628 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AR812853 उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000/- रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की तलाशी के दौरान अन्य मिली राशि 1060 रूपये के बारे में आरोपी श्री राकेश सेठी समयपालक से पूछा तो उसने खर्चे के लिए घर से लाना बताया। उसके पास मिले मोबाईल सेमसंग कंपनी गैलेक्सी बरंग काला मिला, जिसका निरीक्षण किया गया तो कोई भी संदिग्ध कॉल व चैट व मैसेज नहीं मिला, उक्त मोबाईल फोन को भी स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार सिंह के पास सुरक्षित रखवाया। तत्पश्चात श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के लिए पायजामा की व्यवस्था की गयी व आरोपी के पहने हुए डार्क ग्रे कलर की पेंट को सम्मानजनक उतरवाया जाकर दूसरा पायजामा पहनाया गया तथा परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के पहने हुए पेंट की दाहिनी साईड की जेब को उल्टा कर मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयो मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी की डार्क ग्रे कलर की पेन्ट को सुखाकर पीछे की दाहिनी साईड की जेब पर स्वतंत्र गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर जब्त कर कब्जा एसीबी ली गयी । इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा चलाये जा रहे डम्पर संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 पर की लॉगबुक व आरोपी श्री राकेश सेठी के द्वारा किये जा रहे कार्य के प्रॉटोकॉल के संबंध में रिकार्ड की प्रमाणित फोटोप्रतियॉ चाहने के लिए तहरीर जारी की गयी जिस पर मौके पर उपस्थित श्री गोपाल मूड अधिशाषी अभियंता द्वारा वाहन संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 की लॉगबुक व चालको के उपस्थित पंजिका रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त की गई, जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि वाहन संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 की लॉग बुक के कुल 100 पृष्ठ है जिनमें से पेज संख्या 01 व 02 खाली है व पेज संख्या 03 से 48 तक लॉग बुक भरी हुई है, लॉग बुक में परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य के हस्ताक्षर है। कार्यवाही के दौरान वीडीयोंग्राफी श्री विशाल वरिष्ठ सहायक से नया एसडी कार्ड लगाकर बारी बारी से करवाई गई। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर को आवाज नमूना प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर ने एक प्रति पर कपकपाते हुऐं हाथों से लिखकर बताया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूॅं। उक्त आवाज नमूना नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया तथा परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नक्शा मौका का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटनास्थल मूर्तिब की शामिल कार्यवाही किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराह श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर, जब्त शुदा आर्टिकल्स R-1, R-2, L-1, L-2, P-1, P-2,P एवं रिश्वती राशि 5000 रूपये मय कब्जे एसीबी लिया गया आरोपी का मोबाईल फोन व 1060 रूपये मय लैपटॉप प्रिन्टर व टैप बॉक्स के मय सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर

एसीबी कार्यालय पहुॅचा। इसके पश्चात आरोपी श्री राकेश सेठी समयपालक से विस्तृत पूछताछ की गई तथा आरोपी श्री राकेश सेठी हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से अपराध से आगह बीएनएस में नियत प्रावधानों के अनुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 20.02.2025 को समय 10.45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा व स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सिंह व श्री कल्याण सिंह की उपस्थिति आये तथा परिवादी व स्वतंत्र गहवान की उपस्थिति में परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा व आरोपी श्री राकेश सेठी हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के मध्य दिनांक 11.02.2025 को हुई मांग सत्यापन वार्ता जो पूर्व में मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया जो कार्यालय की आलमारी से निकालकर व दिनांक 19.02.2025 को रिश्वत राशि लेन-देन के समय आमने सामने हुई वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के लैपटॉप से बारी बारी जोडकर सुना जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा वार्ताओ को सुनकर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने अपनी आवाज एवं दुसरी आवाज आरोपी श्री राकेश सेठी हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर की पहचान की तथा मांग सत्यापन वार्ता व लेन-देन वार्ता की रिकॉर्ड वार्ताओं की सीडीयॉ बनवाने हेतु कार्यालय से 05-05 सीडीयॉ मंगवायी जाकर सीडीयां खाली होना सुनिश्ति कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से दोनो मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की 05-05 सीडीयो में बर्न/अपलोड कर तैयार की जाकर 05-05 सीडीयों में वाईस क्लिप होना सुनिश्ति कर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.02.2025 की सीडियों पर क्रमशः मार्क A-1, A-2 व A-3, A-4,A.5 व अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तीन सीडी मार्क A-1 वA-2, A.3 को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। सीडी मार्क A-4 A -5 खुली रखी गई व लेन-देन वार्ता दिनांक 19.02.2025 की सीडियों पर क्रमशः मार्क B-1, B-2 व B-3, B-4,B-5 व अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तीन सीडी मार्क B-1 व B-2, B-3 को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। सीडी मार्क B-4 B-5 खुली रखी गई। दिनांक 11.02.2025 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मांग सत्यापन के दौरान उपयोग मे लिये गये मेमोरी कार्ड 32 जीबी SANDISK कम्पनी को मार्क SD अंकित किया व लेन-देन वार्ता दिनांक 19.02.2025 को उपयोग मे लिये गये मेमोरी कार्ड 32 जीबी SANDISK कम्पनी को मार्क SD-1 अंकित प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में अलग अलग रखकर अलग अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया तथा दिनांक 19.02.2025 को ट्रैप कार्यवाही के दौरान उपयोग में लिये गये वीडीयोग्राफी हेतु SD कार्ड को कम्प्यूटर की सहायता से चलाया जाकर तीन डीवीडी मंगवाई जाकर खाली होना सुनिश्ति कर 03 डीवीडीयों में बर्न/अपलोड किया गया, उक्त डीवीडी को मार्क X,Y,Z अंकित किया जाकर डीवीडी मार्क X,Y को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। सीडी मार्क Z को खुली रखी गई एवं SD कार्ड को मार्क MC अंकित किया जाकर सील्ड कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। अब तक की सम्पूर्ण टेªप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं मौके की हालात तथा तथ्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री राकेश सेठी पुत्र श्री बाबुलाल सेठी उम्र 55 साल जाति कलाल निवासी- प्लॉट नम्बर 163/88, सेक्टर 16, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से नगर निगम ग्रेटर के गैराज शाखा के डम्पर संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 पर चालक रहने के लिए 3000 रू प्रतिमाह के मांग रहे है, जिस पर दिनांक 11.02.2025 को मांग सत्यापन के दौरान 1500 रूपये प्राप्त करना व मांग सत्यापन के दौरान कुछ राशि कम कर 5000 रूपये पर सहमति होने पर दिनांक 19.02.2025 को अपनी मांग के अनुशरण में 5000 रूपये प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री राकेश सेठी पुत्र श्री बाबुलाल सेठी उम्र 55 साल जाति कलाल निवासी- प्लॉट नम्बर 163/88, सेक्टर 16, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है। (गम्भीर सिंह) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुरनिवेदन है कि दिनांक 05.02.2025 को परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी ए-79, कृष्णापुरी कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जयपुर उपस्थित आया तथा एक हस्तलिखित प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर इस आशय का पेश किया कि- 'सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों जयपुर नगर चतुर्थ

जयपुर। विषय-रिश्वत लेते हुऐ को पकडवाने के लिये। महोदय निवेदन है कि मैं पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा नगर निगम ग्रेटर मालवीय नगर गैराज में वाहन चालक (संविदा) पद पर कार्यरत हूॅ। नगर निगम ग्रेटर के गैराज शाखा मे मालवीय नगर गैराज (लालकोठी) में श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक के पद पर है श्री राकेश कुमार सेठी नगर निगम के वाहनो पर वाहन चालक लगानें का कार्य देखता है। श्री राकेश कुमार सेठी द्वारा मुझे नगर निगम के डम्पर पर चालक लगाने के लिए 3000 रू प्रतिमाह के मांग रहा है मैने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए इसलिए श्री राकेश कुमार सेठी मेरे से पूर्व के 3 महिने के 9000 रू की रिश्वत राशि मांग रहा है मै राकेश कुमार सेठी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुॅ रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चाहता हूॅ। मेरी श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) से कोई रजिंश नहीं है नहीं कोई लेनदेन शेष है। अतः कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थी एसडी पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी- ए-79 कृष्णापुरी कॉलोनी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जयपुर [redacted] परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि मै सविंदा पर नगर निगम में ड्राईवर के पद पर हू तथा नगर निगम के डम्पर नम्बर आरजे 14 जीएफ 6619 चलाता हू। नगर निगम मालवीय नगर गैराज शाखा (लालकोठी) में श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक है जो नगर निगम के वाहन पर चालक लगाने के लिए प्रतिमाह 3000 रूपये मेरे से मांगता है । मैने उसको अभी तक कोई पैसे नहीं दिऐ, इसलिये श्री राकेश कुमार सेठी समयापालक मेरे से पूर्व के 3 महिने के 9000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री बलराम सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष पर अवगत कराया तथा उनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये। परिवादी के प्रार्थना पत्र व मजिद दरियाफ्त से मांग सत्यापन करवाना आवश्यक है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री अशोक कुमार है कानि. न. 154 .को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उनका व परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से आपस में परिचय करवाया। कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया एसडी/मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB निकलवाकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादीगण को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया की समझाईश की तथा श्री अशोक कुमार हैड कानि न.154 को निर्देश दिये कि मांग सत्यापन से पूर्व नया एसडी/मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB को विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लगाकर परिवादी को सुपुर्द करने के निर्देश दिये। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मांग सत्यापन की कार्यवाही कल दिनांक 06.02.2024 को सुबह 7 से 09 बजे के बीच ही हो पाईगी। इसके पश्चात श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक रिश्वत की मांग नहीं करता है। क्योकि बाद में स्टॉफ अपने अपने वाहन लेकर रवाना हो जाता है। उसके बाद श्री राकेश सेठी समय 02 बजे बाद अपनी डयूटी खत्म कर घर चला जाता है। अतः मै सुबह आपको अवगत कराउ, उस समय श्री अशोक हैड कानि न. 154 को भिजवा देना। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व श्री अशोक कुमार हैड कानि न. 154 को आपस में एक दुसरे के मोबाईल नम्बर दिए तथा परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया। श्री अशोक कुमार हैड कानि न. 154 को हिदायत की गयी कि सुबह परिवादी से संपर्क होने पर मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड लेकर परिवादी के बताए अनुसार स्थान पर पहुॅचे। तत्पष्चात डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी को पुनः सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। दिनांक 06.02.2025 समय 09.40 एएम पर श्री अशोक कुमार हैड कानि न. 154 ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि मेरे पास परिवादी का समय.08.03 एएम पर कॉल आया, उसने मुझे विधान सभा के नजदीक अमरूदो के बाग के पास बुलाया, जिस पर मैने आपको कॉल लगाया परन्तु आपको कॉल नहीं लगा। इसके पश्चात मै कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर समय 08.15 एएम पर रवाना होकर समय 08.20 एएम पर अमरूदो के बाग विधान सभा जयपुर के पास पहुचा, जहां पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार उपस्थित मिला, जिसको मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाकर बंद हालात में सुपुर्द किया तथा परिवादी ने बताया कि मै डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लूंगा। परिवादी ने समय 08.38 एएम पर मुझे कॉल कर बताया कि श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक आज अवकाश पर होने से कार्यालय नहीं आया। इसके बाद परिवादी मेरे पास आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बंद हालात में मुझे सुपुर्द किया। इसके बाद मै रवाना होकर एसीबी कार्यालय आया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री अशोक हैड कानि न. 154 को आवश्यक हिदायत दी तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 11.02.2025 को समय 09.40 एएम पर इस समय श्री अशोक कुमार हैड कानि न. 154 ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि आज सुबह 07.51 एएम. पर परिवादी का मेरे पास फोन आया तथा मुझे विधान सभा के पास बुलाया, जिस पर मै आपके निर्देशानुसार कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर समय 08.10 एएम पर रवाना होकर समय 08.20 एएम पर अमरूदो के बाग विधान सभा जयपुर के पास पहुॅचा, जहां पर मैने परिवादी को कॉल किया व समय 08.23 एएम पर परिवादी ने मेरे पास कॉल कर विधायक क्वार्टर के पास बुलाया, जहां पर मै पहुचां तो परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार उपस्थित मिला, जिसको मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड समय 08.28 एएम पर चालू कर सुपुर्द किया, इसके पश्चात परिवादी नगर निगम

लालकोठी गैराज के अन्दर गया, मै गोपनीयता बनाये रखते हुऐ नगर निगम गैराज लालकोठी के पास ही खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देने पर मैने बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री राकेश कुमार सेठी ने मेरे से पहले ईशारा कर पैसे की मांग की, जिस पर मैने उसे 1500 रूपये दे दिये, इसके पश्चात उसने और पैसो की मांग की, मैने उसे बाद में एक साथ देने के लिए कहा। इसके बाद परिवादी ने कहा कि मेरे आवश्यक कार्य है इसलिये में बाद में एसीबी कार्यालय आ जाउंगा। इस पर मै डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रवाना होकर समय 08.50 एएम पर एसीबी कार्यालय आ गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सुना तथा श्री अशोक कुमार हैड कानि की कही बातो की ताईद हुई तथा परिवादी से संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। इसके पश्चात डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को बंद कर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रख दिया। इसके पश्चात समय 03.15 पीएम पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री अशोक कुमार हैड कानि के मेरे पास आने पर इनके द्वारा मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर दिया, इसके बाद में रवाना होकर श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक से मिला तो उसने मुझे ईशारा कर 1500 रूपये ले लिये तथा और पैसो की मांग किया, जिस पर मैने उसको बाद में 5000 रूपये देने के लिए कहा है। परिवादी ने बताया कि मै सोमवार दिनांक 17.02.2025 को सुबह कार्यालय आ जाउंगा। उस दिन श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक को रिश्वत के पैसे दूंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने व दिनांक 17.02.2025 को समय पर कार्यालय आने की हिदायत देकर रूखस्त किया। दिनांक 17.02.2025 को समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने जरिये व्हाटसअप पर मन् पुलिस निरीक्षक को फोन कर बताया कि मेरे आज आवश्यक कार्य है, इसलिये मै मेरे निजी कार्य से फ्री होकर आपको अवगत करा दूंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 18.02.2025 को समय 5.30 पीएम पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने मोबाईल से जरिये व्हाटसअप से मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर बताया कि कल दिनांक 19.02.2025 को श्री राकेश कुमार सेठी समयपालक मेरे से रिश्वत के पैसे लेगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को कल दिनांक 19.02.2025 को समय 5.30 एएम पर एसीबी कार्यालय मे रिश्वत के पैसे लेकर आने के लिए कहा तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री हवा सिंह हैड कानि को स्वतत्रं गवाहान व समस्त स्टॉफ को समय 5.30 एएम पर कार्यालय आने के लिए पाबन्द करने के लिए कहा एवं ट्रैप कार्यवाही हेतु ट्रैप बॉक्स व सबंधित समस्त साजो सामान को सुव्यवस्थित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 19.02.2025 समय 05.45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त स्टॉफ कार्यालय आये तथा स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सिंह व श्री कल्याण सहाय मीणा उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री राजकुमार सिंह हाल अनुभागाधिकारी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर होना व दुसरे ने अपना नाम श्री कल्याण सहाय मीणा हाल सहायक अनुभागाधिकारी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर होना बताया। समय.06.30 एएम पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित कार्यालय आया, जिसका स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सिंह अनुभागाधिकारी व श्री कल्याण सहाय मीणा सहायक अनुभागाधिकारी से आपस में परिचय करवाया तथा इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिखाये व पढवाये जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.00 एएम पर इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा को संदिग्ध श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मु्रदा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5,000/-रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा पेश् शुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री दयाचन्द हैड कानि न. 07 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री दयाचन्द हैड कानि न. 07 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कल्याण सहाय मीणा से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोटरसाईकिल की चाबी, मोबाईल फोन, आधार कार्ड व 150 रूपये के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोटरसाईकिल की चाबी, मोबाईल फोन,आधार कार्ड व 150 रूपये छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। तत्पश्चात श्री दयाचन्द हैड कानि. से रिश्वत राशि 5,000/- रूपये परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा की पहने हुऐ काले कोट बॉये साईडी की सामने की नीचे की तरफ की जेब में रखवाये गये तथा तथा परिवादी को समझाईश की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे अगर अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे हाथ नही मिलावे तथा आरोपी उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा रखता है

इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर [redacted] पर मिस्ड काल कर ईशारा करे व दोनो गवाहो को भी हिदायत दी गई कि आप यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। इसके बाद गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए प्लास्टिक के एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर की एक चम्मच डालकर घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री दयाचन्द है.कानि. नं. 07 के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उसको तथा प्लास्टिक के गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया, श्री दयाचन्द है.कानि. नं. 07 से गुलाबी घोल को फिकवाकर हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया व श्री दयाचन्द है.कानि.नं. 07 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी कार्यालय आलमारी में रखवायी गयी। गवाहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु आदि नहीं छोडे़ गये। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाले सामानों को अच्छी तरह साफ करवाकर तथा सुखवायी गयी व नये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास भी ट्रेप बॉक्स में रखा गया। कार्यालय की अलमारी से पूर्व में मांग सत्यापन के दौरान प्रयोग में लिए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में से पूर्व एसडी कार्ड को निकालकर सुरिक्षत कार्यालय की आलमारी में रखा तथा नया एसडी कार्ड को परिवादी के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगाकर श्री अशोक कुमार हैड कानि को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गयी गयी परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए एसओ के पास जाने से पूर्व चालू कर देवे। श्री दयाचन्द हैड कानि न 07 को ब्यूरो कार्यालय में छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय 07.30 एएम पर इस समय मन् पुलिस निरीक्षक श्री गम्भीर सिंह ने श्री अशोक मुख्य आरक्षक न 54 व श्री विशाल कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार को अलग अलग मोटरसाईकिल पर व टेवेरा वाहन आरजे 14 यूसी 8798 में श्री आलोक शर्मा सहायक उप निरीक्षक,श्री हवा सिंह हैड कानि न 09, श्री ओमप्रकाश कानि 438, श्रीमती ललिता मकानि. नं. 269 मय चालक श्री रोहिताश लालकोठी गैराज नगर निगम जयपुर, विधान सभा के नजदीक आईबीएस अस्पताल के पास उपस्थित होने के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री अजय कानि 154 व स्वतंत्र गवाह राजकुमार सिंह व श्री कल्याण सहाय मीणा मय लैपटॉप प्रिन्टर मय टै्प बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूडी 1392 मय चालक के एसीबी कार्यालय से ट्रेप कार्यवाही के लिए लालकोठी गैराज नगर निगम के लिए रवाना होकर समय 07.40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक श्री गम्भीर सिंह मय हमराहिन जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के विधान सभा के नजदीक आईबीएस अस्पताल के पास समय 7.40 एएम पर पहुचाँ तथा वाहनो को साईड में खडा करवाया तथा श्री अशोक मुख्य आरक्षक न 54 व श्री विशाल कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार व सरकारी वाहन टवेरा में श्री आलोक शर्मा सहायक उप निरीक्षक,श्री हवा सिंह हैड कानि न 09, श्री ओमप्रकाश कानि 438, श्रीमती ललिता मकानि. नं. 269 भी उपस्थित आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री अशोक हैड कानि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द करने के निर्देश देने पर श्री अशोक हैड कानि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर नगर निगम गैराज लालकोठी के लिए समय 7.43 एएम पर रवाना किया। परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा नगर निगम गैराज लालकोठी के अन्दर गया तथा श्री अशोक हैड कानि व श्री विशाल कानि को पीछे पीछे पैदल रवाना किया व स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सिंह व श्री कल्याण सिंह को आवश्यक निर्देश देकर पैदल रवाना किया मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ता भी पीछे पीछे पैदल रवाना होकर नगर निगम लालकोठी गैराज के आस-पास गोपनीयता बनाये रखते हुऐ परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुऐ। परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने मन् पुलिस निरीक्षक को समय 07.50 एएम पर सिर पर हाथ फेर कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराही जाप्ता व स्तवंत्र गवाहान को साथ लेकर नगर निगम मालवीय नगर लालकोठी गैराज के अन्दर पहुॅचा, जहां पर मैन गेट के सामने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित मिला, परिवादी पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त किया जाकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि श्री राकेश सेठी समयपालक नगर निगम मालवीय नगर लालकोठी गैराज जयपुर ने अभी अभी मेरे से 5000 रूपये की रिश्वत राशि अपने बॉये हाथ से लेकर दाहिने हाथ से पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रख लिए है, इसके पश्चात मै बाहर आपको निर्धारित ईशारा किया तथा श्री अशोक जी को भी

ईशारा किया, जिस पर श्री अशोक जी व श्री विशाल जी आ गये तथा आरोपी श्री राकेश सेठी समयपालक उपायुक्त गैराज श्री करणी सिंह के कक्ष से बाहर आ गया, जिसको श्री अशोक जी ने अन्दर बैठा दिया, आरोपी श्री राकेश सेठी समयपालक उपायुक्त गैराज के कक्ष के अन्दर है, जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहियान जाप्ता व परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा को लेकर उपायुक्त गैराज के कक्ष में गया, जहां पर कुर्सी पर एक व्यक्ति डार्क ग्रे कलर की पेन्ट व हल्का ग्रे कलर का कोट पहने हुऐ बैठा था तथा श्री अशोक हैड कानि व श्री विशाल वरिष्ठ सहायक भी पास में मिले, परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने अन्य व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री राकेश सेठी समयपालक है, जिन्होने अपनी मांग के अनुशरण में मेरे से अभी अभी 5000 रूपये की रिश्वत राशि अपने बॉये हाथ से लेकर दाहिनी हाथ से पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये। इसके पश्चात श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर, जिसका श्री ओमप्रकाश कानि 438 से दाहिनॉ हाथ तथा श्री अजय कानि न 154 ने बॉया हाथ कलाई के उपर से पकडाकर कुर्सी पर बिठाया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राकेश सेठी पुत्र श्री बाबुलाल सेठी उम्र 55 साल जाति कलाल निवासी- प्लॉट नम्बर 163/88, सेक्टर 16, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर को परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से रिश्वत राशि 5000 रूपये लेने के बारे में पूछा तो श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर घबरा गया और बताया कि मैने श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से रिश्वत राशि नहीं मांगी, इसने मुझे जबरदस्ती देकर गया। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी श्री राकेश सेठी की बातों का खंडन करते हुऐ बताया कि मैं नगर निगम ग्रेटर मालवीय नगर गैराज में वाहन चालक (संविदा) पद पर कार्यरत हॅू। नगर निगम ग्रेटर के गैराज शाखा मे मालवीय नगर (लालकोठी) में यह श्री राकेश सेठी समयपालक के पद पर है, यह नगर निगम के वाहनो पर वाहन चालक लगानें का कार्य देखते है। इनके द्वारा मुझे नगर निगम के डम्पर संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 पर चालक लगाने के लिए 3000 रू प्रतिमाह के मांग रहे है, मैने इनको अभी तक पैसे नहीं दिए, इसलिए श्री राकेश सेठी मेरे से पूर्व के 3 महिने के 9000 रू की रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर मैने दिनांक 05.02.2025 को एसीबी में शिकायत दी, जिस पर दिनांक 11.02.2025 को मांग सत्यापन की कार्यवाही की, जिस में श्री राकेश सेठी समयपालक द्वारा मेरे से 1500 रूपये ले लिये व कुछ राशि कम कर 5000 रूपये की रिश्वत राशि की ओर मांग की, अपनी मांग के अनुशरण में आज दिनांक 19.02.2025 को श्री राकेश सेठी द्वारा 5000 रूपये की रिश्वत राशि अपने बॉये हाथ से प्राप्त कर दाहिनी हाथ से अपनी पहनी हुई डार्क ग्रे कलर की पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये। इसके पश्चात मैंने आपको निर्धारित ईशारा किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ बोतल में नगर निगम मालवीय नगर गैराज शाखा में बने वाटर कूलर में से स्वच्छ पानी भरवाया जाकर दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झायी देता हुआ हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी झायी देता हुआ होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R.1 व R.2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ स्वच्छ पानी से भरे साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया । उक्त धोवन को दो कांच की साफ षीषियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार सिंह से श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर की जामा तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी के पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब से 500-500 के 10 नोट कुल राशि 5000/- रूपए व 1060 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकाल कर पेश किये। उक्त 500-500 के 10 नोट कुल राशि 5000/- रूपए के नोटो को दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से नंबरो का मिलान करवाया गया तो हुबहू होना पाये गये। उक्त रिश्वती राशि का विवरण निम्नानुसार हैः- 01 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0NF824224 02 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4AG720259 03 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HW451354 04 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8FS539963 05 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3PE419790 06 एक नोट पांच सौ रूपये

का नम्बरी 6WU675910 07 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AH032917 08 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MP545044 09 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9ED253628 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AR812853 उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000/- रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की तलाशी के दौरान अन्य मिली राशि 1060 रूपये के बारे में आरोपी श्री राकेश सेठी समयपालक से पूछा तो उसने खर्चे के लिए घर से लाना बताया। उसके पास मिले मोबाईल सेमसंग कंपनी गैलेक्सी बरंग काला मिला, जिसका निरीक्षण किया गया तो कोई भी संदिग्ध कॉल व चैट व मैसेज नहीं मिला, उक्त मोबाईल फोन को भी स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार सिंह के पास सुरक्षित रखवाया। तत्पश्चात श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के लिए पायजामा की व्यवस्था की गयी व आरोपी के पहने हुए डार्क ग्रे कलर की पेंट को सम्मानजनक उतरवाया जाकर दूसरा पायजामा पहनाया गया तथा परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राकेश सेठी टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के पहने हुए पेंट की दाहिनी साईड की जेब को उल्टा कर मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयो मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी की डार्क ग्रे कलर की पेन्ट को सुखाकर पीछे की दाहिनी साईड की जेब पर स्वतंत्र गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे़ की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर जब्त कर कब्जा एसीबी ली गयी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा चलाये जा रहे डम्पर संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 पर की लॉगबुक व आरोपी श्री राकेश सेठी के द्वारा किये जा रहे कार्य के प्रॉटोकॉल के संबंध में रिकार्ड की प्रमाणित फोटोप्रतियाँ चाहने के लिए तहरीर जारी की गयी जिस पर मौके पर उपस्थित श्री गोपाल मूड अधिशाषी अभियंता द्वारा वाहन संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 की लॉगबुक व चालको के उपस्थित पंजिका रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त की गई, जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि वाहन संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 की लॉग बुक के कुल 100 पृष्ठ है जिनमें से पेज संख्या 01 व 02 खाली है व पेज संख्या 03 से 48 तक लॉग बुक भरी हुई है, लॉग बुक में परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य के हस्ताक्षर है। कार्यवाही के दौरान वीडीयोंग्राफी श्री विशाल वरिष्ठ सहायक से नया एसडी कार्ड लगाकर बारी बारी से करवाई गई। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर को आवाज नमूना प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर ने एक प्रति पर कपकपाते हुऐं हाथों से लिखकर बताया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूॅं। उक्त आवाज नमूना नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया तथा परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नक्शा मौका का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटनास्थल मूर्तिब की शामिल कार्यवाही किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराह श्री राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर, जब्त शुदा आर्टिकल्स R-1, R-2, L-1, L-2, P-1, P-2,P एवं रिश्वती राशि 5000 रूपये मय कब्जे एसीबी लिया गया आरोपी का मोबाईल फोन व 1060 रूपये मय लैपटॉप प्रिन्टर व टैप बॉक्स के मय सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुॅंचा। इसके पश्चात आरोपी श्री राकेश सेठी समयपालक से विस्तृत पूछताछ की गई तथा आरोपी श्री राकेश सेठी हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से अपराध से आगह बीएनएस में नियत प्रावधानों के अनुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 20.02.2025 को समय 10.45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा व स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सिंह व श्री कल्याण सिंह की उपस्थिति आये तथा परिवादी व स्वतंत्र गहवान की उपस्थिति में परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा व आरोपी श्री राकेश सेठी हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के मध्य दिनांक 11.02.2025 को हुई मांग सत्यापन वार्ता जो पूर्व में मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया जो कार्यालय की आलमारी से निकालकर व दिनांक 19.02.2025 को रिश्वत राशि लेन-देन के समय आमने सामने हुई वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के लैपटॉप से बारी बारी जोडकर सुना जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा वार्ताओ को सुनकर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने अपनी आवाज एवं दुसरी आवाज आरोपी श्री राकेश सेठी हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर की पहचान की तथा मांग सत्यापन वार्ता व लेन-देन वार्ता की रिकॉर्ड वार्ताओं की सीडीयाँ बनवाने हेतु कार्यालय से 05-05

सीडीयाँ मंगवायी जाकर सीडीयां खाली होना सुनिश्ति कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से दोनो मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की 05-05 सीडीयो में बर्न/अपलोड कर तैयार की जाकर 05-05 सीडीयों में वाईस क्लिप होना सुनिश्ति कर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.02.2025 की सीडियों पर क्रमशः मार्क A-1, A-2 व A-3, A-4,A.5 व अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तीन सीडी मार्क A-1 वA-2, A.3 को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। सीडी मार्क A-4 A -5 खुली रखी गई व लेन-देन वार्ता दिनांक 19.02.2025 की सीडियों पर क्रमशः मार्क B-1, B-2 व B-3, B-4,B-5 व अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तीन सीडी मार्क B-1 व B-2, B-3 को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। सीडी मार्क B-4 B-5 खुली रखी गई। दिनांक 11.02.2025 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मांग सत्यापन के दौरान उपयोग मे लिये गये मेमोरी कार्ड 32 जीबी SANDISK कम्पनी को मार्क SD अंकित किया व लेन-देन वार्ता दिनांक 19.02.2025 को उपयोग मे लिये गये मेमोरी कार्ड 32 जीबी SANDISK कम्पनी को मार्क SD-1 अंकित प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में अलग अलग रखकर अलग अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया तथा दिनांक 19.02.2025 को ट्रैप कार्यवाही के दौरान उपयोग में लिये गये वीडीयोग्राफी हेतु SD कार्ड को कम्प्यूटर की सहायता से चलाया जाकर तीन डीवीडी मंगवाई जाकर खाली होना सुनिश्ति कर 03 डीवीडीयों में बर्न/अपलोड किया गया, उक्त डीवीडी को मार्क X,Y,Z अंकित किया जाकर डीवीडी मार्क X,Y को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। सीडी मार्क Z को खुली रखी गई एवं SD कार्ड को मार्क MC अंकित किया जाकर सील्ड कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। अब तक की सम्पूर्ण टेप्प कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं मौके की हालात तथा तथ्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री राकेश सेठी पुत्र श्री बाबुलाल सेठी उम्र 55 साल जाति कलाल निवासी- प्लॉट नम्बर 163/88, सेक्टर 16, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा से नगर निगम ग्रेटर के गैराज शाखा के डम्पर संख्या आरजे 14 जीएफ 6619 पर चालक रहने के लिए 3000 रू प्रतिमाह के मांग रहे है, जिस पर दिनांक 11.02.2025 को मांग सत्यापन के दौरान 1500 रूपये प्राप्त करना व मांग सत्यापन के दौरान कुछ राशि कम कर 5000 रूपये पर सहमति होने पर दिनांक 19.02.2025 को अपनी मांग के अनुशरण में 5000 रूपये प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री राकेश सेठी पुत्र श्री बाबुलाल सेठी उम्र 55 साल जाति कलाल निवासी- प्लॉट नम्बर 163/88, सेक्टर 16, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है। (गम्भीर सिंह) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गम्भीर सिंह, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राकेश सेठी पुत्र श्री बाबुलाल सेठी उम्र 55 साल जाति कलाल निवासी- प्लॉट नम्बर 163/88, सेक्टर 16, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर हाल टाईम कीपर (समयपालक) नगर निगम मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री छोटीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 356 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 192-95 दिनांक 21-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-बोर्ड/कार्यकारिणी समिति, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर । 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chhotee Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I
Date: 2 2/2025 1

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/11/1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)